



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032023-244327
CG-DL-E-13032023-244327

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1141]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/ फाल्गुन 22, 1944

No. 1141]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

का.आ. 1188(अ). केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का.आ. 3390(अ) दिनांक 26 जुलाई 2022 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग -(II), खण्ड-3 उपखण्ड (ii) 3390(अ) दिनांक 26 जुलाई 2022 के दिनांकित में निम्ननाकित संशोधन करती है।

अधिसूचना

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 516ई (रामपचौड़ावरम से कोय्यूरु) के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन के उन्नयन के लिए किमी.0.00 से किमी.72.055 तक का विस्तार।

संशोधित

आंध्र प्रदेश राज्य में किमी.43.700 से किमी.113.820 तक एनएच-516ई के रामपछोड़ावरम से कोय्यूरु खंड के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का चौड़ीकरण।

नोट :- आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 516ई (रामपचौड़ावरम से कोय्यूरु) के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन के उन्नयन के लिए किमी. 0.00 से किमी. 72.055 तक के जगह पर आंध्र प्रदेश राज्य में किमी. 43.700 से किमी. 113.820 तक एनएच-516ई के रामपचौड़ावरम से कोय्यूरु खंड के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का चौड़ीकरण। पढ़ा जाये

CALA से प्राप्त चेनेज नाम के अनुसार चेनेज के नाम में सुधार

[फा. सं. EE/NH/VSP/516E-RCV-KYR SECTION/1]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th March, 2023

S.O. 1188(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.3390 E, Dated the 26 July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) S.O.3390 E, dated the 26 July, 2022 namely

In the said notification

Stretch from km.0.00 to km.72.055 for opgradation to 2 laning with paved shoulders of National Highway No.516E (Rampachodavaram to Koyyuru) in the State of ANDHRA PRADESH.

Amended

Widening to two lane with paved shoulder of Rampachodavaram to Koyyuru section of NH-516E from km.43.700 to km.113.820 in the State of ANDHRA PRADESH.

Note:—Therefore, of the notification published vide S.O. number 3390 E NH 516E dated 26 July 2022 may be read as "Widening to two lane with paved shoulder of Rampachodavaram to Koyyuru section of NH-516E from km.43.700 to km.113.820 in the State of ANDHRA PRADESH." Instead of " Stretch from km.0.00 to km.72.055 for opgradation to 2 laning with paved shoulders of National Highway No.516E (Rampachodavaram to Koyyuru) in the State of ANDHRA PRADESH."

Correction in name of chainage as per chainage name received from CALA

[F. No. EE/NH/VSP/516E-RCV-KYR SECTION/1]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.